कृपया शीर्ष
प्रवि० निति २१०७
२४।८।१७

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

ज्ञाप संख्या–09/निधि–स्था० एवं प्रति० (2245)–01–05/2017–आर.ओ.ए. 68 (S) पटना, दिनांक : 24.8.17

सेवा में, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमंडल (संलग्न आवंटन विवरणी के अनुसार)।

विषय :– माँग संख्या–41 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष 02 – बाढ़, चक्रवात आदि लघु शीर्ष 106 – खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना, उपशीर्ष–0002 –क्षतिग्रस्त सड़कों–पुलों की मरम्मत तथा प्रत्यारस्थापन (पथ निर्माण विभाग हेतु), विषयशीर्ष –0002.27.02– अनुरक्षण एवं मरम्मत मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में निधि का आवंटन ।

आदेश :– उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में संलग्न आवंटन विवरणी के स्तम्भ –2 में अंकित प्रमंडल के लिए स्तम्भ–4 में अंकित राशि के अनुरूप वर्त्तमान में कुल राशि **₹3,16,38,000/- (तीन करोड़ सोलह लाख अड़तीस हजार रूपये)** मात्र आवंटित किया जाता है।

2 यह व्यय उपर्युक्त माँग संख्या– 41 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष 02 – बाढ़, चक्रवात आदि लघु शीर्ष 106 – खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना, उपशीर्ष–0002 –क्षतिग्रस्त सड़कों–पुलों की मरम्मत तथा प्रत्यारस्थापन (पथ निर्माण विभाग हेतु), विषयशीर्ष –0002.27.02– अनुरक्षण एवं मरम्मत मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है। इस राशि का विपत्र कोड–41-2245021060002 है।

3 आवंटित राशि का वहन 2017–18 में पथ निर्माण विभाग के लिए इस मद में बजट उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4 यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561/वि.(2) दिनांक– 17.04.1998 पत्रांक– 428/वि., दिनांक– 31.03.2017 एवं पत्रांक– 3002/वि. दिनांक–26.04.2017 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5 प्रमंडल / निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरूद्ध वित्त विभाग के पत्रांक–एम0–4–53/2007–3758 दिनांक–31.05.17 एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाय।

6 आवंटित राशि को सक्षम प्राधिकार द्वारा दिये गये तकनीकी स्वीकृति के आलोक में ही व्यय की जाय। संबंधित मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता आवंटित राशि का नियमानुकूल व्यय करवाना सुनिश्चित करेंगे।

7 विगत वित्तीय वर्षों की स्वीकृत एवं एकरारनामित योजनाओं, जिनके विरूद्ध कार्य का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया जाना है, के सम्बंध में आवश्यक स्पील ओभर की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

8 यह आवंटन संलग्न आवंटन विवरणी के स्तम्भ–6 में अंकित संबंधित कार्यपालक अभियंता के पत्रांक / दिनांक के आलोक में दी जा रही है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि का नियमानुकूल व्यय सुनिश्चित करेंगे।

9 यह व्यय सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राक्कलन स्वीकृति की राशि से समाविष्ट होना चाहिए ।

10 खर्च को आवंटित राशि तक सीमित रखा जाय तथा किसी भी परिस्थिति में आवंटन से अधिक खर्च नहीं किया जाय तथा किसी तरह के अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। बकाये राशि की शुद्धता एवं देयता की जॉच निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने स्तर से कर लेंगे एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान करेगें। किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए वे स्वयं जिम्मेदार समझे जायेगें।

11 कुल आवंटित राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह में निश्चित रूप से महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार को उपलब्ध कराते हुए मदवार/कार्यवार मिलान कराया जाय तथा मिलान की एक प्रति विभाग में निश्चित रूप से समर्पित किया जाय, अन्यथा अगला आवंटन देना सम्भव नहीं होगा।

12 यदि आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–2018 में नहीं हो सके तो बचत की राशि का प्रत्यार्पण दिनांक– **28.02.2018** तक अवश्य कर दिया जाय।

13 प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

22.8.17

D:\2017-18 Worked by ALOK\ALLOTMENT - 2017-18\3- FDR - 2245 (2017-18)\2245-FDR (2017-18)st-4 (12-07-2017)

14 इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

(चन्द्रशेखर) 23.8.17
विशेष पदाधिकारी (या0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(कृष्ण चन्द्र ठाकुर) 23/08/2017
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या–09/निधि–स्था0 एवं प्रति0 (2245)–01–05/2017–आर॰ओ॰ए॰ 68 (S) पटना, दिनांक : 24.8.17

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना / प्रधान सचिव, प0नि0वि, पटना / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, प0नि0वि0, पटना / सभी संबंधित मुख्य अभियंता / सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता / संयुक्त सचिव (प्र0को0), प0नि0वि0, पटना / विशेष पदाधिकारी (यातायात) प0नि0वि0, पटना / सहायक अभियंता (अवकाश रक्षित)–सह–योजना पदाधिकारी, प0नि0वि0/ आई॰टी॰ मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी – 09 (पॉच प्रति) एवं अधीक्षण अभियंता (अनु0), प0नि0वि0, पटना को (फैक्स एवं ई–मेल हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(चन्द्रशेखर) 23.8.17
विशेष पदाधिकारी (या0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(कृष्ण चन्द्र ठाकुर) 23/08/2017
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आवंटन विवरणी

ज्ञाप संख्या–09/निधि–स्था0 एवं प्रति0 (2245)–01–05/2017–आर॰ओ॰ए॰ 68 (S) पटना, दिनांक : 24.8.17

	क्र0 सं0	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
	1	2	3	4	5	6
क्र0-66/17	1	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं0–1, जहानाबाद।	0	17,50,000	17,50,000	1152 / 16.08.17
क्र0-64/17	2	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा।	0	18,88,000	18,88,000	1220 / 18.08.17
क्र0-61/17	3	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेतिया।	0	75,00,000	75,00,000	1708 / 21.08.17
क्र0-59/17	4	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया।	0	30,00,000	30,00,000	1025 / 16.08.17
क्र0-55/17	5	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी।	0	75,00,000	75,00,000	1643 / 21.08.17
क्र0-53/17	6	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज।	0	1,00,00,000	1,00,00,000	1111 / 21.08.17
		कुल योग	**0**	**3,16,38,000**	**3,16,38,000**	

वर्तमान आंवटित राशि (शब्दों में) – तीन करोड़ सोलह लाख अड़तीस हजार रूपये मात्र।

(चन्द्रशेखर) 23.8.17
विशेष पदाधिकारी (या0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

22.8.17

(कृष्ण चन्द्र ठाकुर) 23/08/2017
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(प्रवीण कुमार बबलू)
सहायक

(नमानी दास)
प्र0पदा0

(दीपेश कुमार)
स0अभि0 (अ0र0)

(आलोक कुमार)
वि0पदा0(या0) के त0स0

D:\2017-18 Worked by ALOK\ALLOTMENT - 2017-18\3- FDR - 2245 (2017-18)\2245-FDR (2017-18)st-4 (12-07-2017)